सं०सं०–2 / आर–39 / 2025–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय : डा० बिनीता कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शास्त्रीनगर, पटना का दिनांक–10.08.2023 से 17.03.2024 तक के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे कहना है कि विभागीय अधिसूचना सख्या–1533(2), दिनांक–18 11 2021 द्वारा डा० बिनीता कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज, पटना में नियुक्ति–सह पदस्थापन किया गया, जिसके अनुपालन मे डा० बिनीता कुमारी द्वारा दिनांक–09.12 2021 को पदस्थापित संस्थान में योगदान कर प्रभार ग्रहण किया गया। नियुक्ति के पूर्व से ही डा० कुमारी एस० डी० अस्पताल दुर्गापुर प० बंगाल मे सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर पदस्थापित थी। उक्त अधिसूचना की कंडिका–15 के आलोक मे टेन्योर अवधि पूरा करने हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज, पटना के ज्ञापाक–183, दिनांक–09.12 2021 द्वारा विरमित हो गयी। टेन्योर समाप्ति के उपरान्त एस०डी०अस्पताल, दुर्गापुर, प० बंगाल के पत्रांक–787, दिनांक–05 08 2023 द्वारा डा० कुमारी को विरमित कर दिया गया । उक्त आलोक में डा० कुमारी के द्वारा दिनांक–10 08 2023 के पूर्वाह्न में पदस्थापन की प्रतीक्षा मे विभाग में योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं०–356(2), दिनाक–15.03 2024 के द्वारा डा० कुमारी का पदस्थापन अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शास्त्रीनगर, पटना में किया गया। उक्त के आलोक मे डा० कुमारी के द्वारा दिनांक–18.03.2024 को प्रभार ग्रहण कर कार्यरत है।

वर्णित स्थिति में डा० बिनीता कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शास्त्रीनगर, पटना के दिनांक–10.08.2023 से 17 03.2024 तक के प्रभार रहित अवधि को निम्न रूप में विनियमित किया जाता है:–

1.	दिनाक–10.08.2023 से 15.03.2024 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
2.	दिनांक–16.03.2024 से 17.03.2024 तक	–	देय अवकाश के रूप में।

2 प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

D>Sec-2>2025>niji schika> fines me jane wala fil chamtha

ज्ञापांक–2 / आर–39 / 2025– 1427(2) पटना, दिनांक 25/ 6 /2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एव ह०) विभाग, बिहार, पटना / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना / उपाधीक्षक, अनुमडलीय अस्पताल, दानापुर, पटन / कोषागार पदाधिकारी, पटना / डा० बिनीता कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शास्त्रीनगर, पटना / प्रशाखा–3, 9 एव 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि . आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोट करने हेतु प्रेषित।

Mamak 23/6/26
सरकार के उप सचिव।

D>Sec-2>2025>niji scnika> fines me jane wala fil chamtha